भारत सरकार
संस्कृति मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 11
उत्तर देने की तारीख 04.12.2023

अनुभवी कलाकारों को वित्तीय सहायता

11. **एडवोकेट ए. एम. आरिफ़** :

क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनुभवी कलाकारों के लिए वित्तीय सहायता योजना के तहत चुने गए कलाकारों की संख्या कितनी है और उन्हें प्रति माह कितनी पेंशन राज्य-वार प्रदान की जा रही है;

(ख) क्या सरकार को जानकारी है कि केरल राज्य के कई अनुभवी कलाकारों को पिछले दो वर्षों से आवश्यक दस्तावेज जमा करने के बाद भी पेंशन नहीं मिल रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या और किस महीने से पेंशन लंबित है और केरल के अनुभवी कलाकारों की 31.10.2023 तक भुगतान के लिए लंबित कुल पेंशन राशि कितनी है;

(ग) केरल के उक्त कलाकारों की अब तक लंबित कुल पेंशन राशि का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार उक्त सभी कलाकारों की लंबित पेंशन के भुगतान में तेजी लाने पर विचार करेगी और इसके लिए समय-सीमा तय करेगी; और

(ङ) क्या सरकार का अनुभवी कलाकारों की मासिक पेंशन राशि बढ़ाने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

संस्कृति, पर्यटन एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री
(जी. किशन रेड्डी)

(क): संस्कृति मंत्रालय 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के उन वरिष्ठ कलाकारों के लिए 'वयोवृद्ध कलाकारों हेतु वित्तीय सहायता की स्कीम' नामक स्कीम संचालित करता है जिन्होंने मंच कला और संस्कृति के अपने विशिष्ट क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है परन्तु जो वृद्धावस्था के कारण वित्तीय कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं।

मौजूदा स्कीम के दिशानिर्देशों के अनुसार, इस बात की परवाह किए बिना कि संबंधित लाभार्थी किन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से संबंधित हैं, चयनित कलाकारों को 6,000/- रुपये प्रति माह तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। इस स्कीम के अंतर्गत विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से 11233 कलाकारों का चयन किया गया है।

(ख, (ग) और (घ): सरकार का यह सतत् प्रयास रहा है कि लाभार्थियों से अपेक्षित दस्तावेजों की प्राप्ति होने पर सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों, जिसमें केरल राज्य भी शामिल है, के चयनित लाभार्थियों को वित्तीय सहायता का समय से संवितरण सुनिश्चित किया जाए। तथापि स्कीम के अंतर्गत, वित्तीय सहायता का संवितरण लाभार्थियों द्वारा कतिपय अनिवार्य दस्तावेजों की प्रस्तुति पर निर्भर करता है। लाभार्थियों से अपेक्षित दस्तावेज प्राप्त होते ही शीघ्रता से वित्तीय सहायता संवितरित करने हेतु हर संभव प्रयास किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त, लाभार्थियों को वित्तीय सहायता का समय से संवितरण सुनिश्चित करने के लिए दिनांक 28.06.2023 को मंत्रालय और केनरा बैंक के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

(ङ.): जी, नहीं। हाल ही में इस स्कीम की समीक्षा की गई थी और जून, 2022 से मासिक वित्तीय सहायता को 4000/- रुपये से बढ़ाकर 6000/- रु. कर दिया गया है। वयोवृद्ध कलाकारों हेतु मासिक वित्तीय सहायता को बढ़ाने के लिए अन्य कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

*****